

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

एच. एस. बी. सी. लि. इण्डिया बनाम मुकुल सक्सेना

प्रकरण संख्या : 305/2022 (धारा 14 सिविल रिट/आईजेसन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
24.06.2022	<p>प्रार्थी वित्तीय संस्था ने सरफेरी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने वाकत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	
14.7.22	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित है, वकील प्रार्थी ने वित्तीय संस्था द्वारा पत्रावली के विद्वां किफे जाने का निवेदन किया है। अतः वकील प्रार्थी अनुसार धारा 14 सरफेरी अधिनियम के विद्वां किफे जाने से रक्षी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	